



हाउसिंग बोर्ड हरियाणा

आवासीय सम्पत्तियों की ई-नीलामी

नयी संशोधित नीति के अनुसार

दिनांक: 17 और 30 अक्टूबर, 2025

आवासीय सम्पत्तियाँ

स्टेशन	सेक्टर
पानीपत	39 - P/NATH, 39 - टी. डी. आई, 19 अंसल सिटी
कुरुक्षेत्र	सेक्टर-29, 9, 31-32, 32
कैथल	सेक्टर-33, 29
सोहना	सेक्टर-11 & 14
करनाल	सेक्टर-28-Old, 45-Old, 45-New, 36, 28 NEW, 33
घरौडा	सेक्टर-9
फरीदाबाद	सेक्टर-70, 3
हिसार	सेक्टर-1 तलवंडी राणा, 24, 1 & 4
रतिया	सेक्टर-6 & 7
टोहाना	सेक्टर-6 & 7
फतेहाबाद	सेक्टर-4, 7
सिरसा	सेक्टर-21
नरवाना	सेक्टर-19, बसंत विहार
रेवाड़ी	सेक्टर-6 & 7, 19
पिंजौर	सेक्टर-3, 4, 4A
गुरुग्राम	सेक्टर-42, 49-50, 48-49 नार्थ स्टार, 48-49 उप्पल
झज्जर	सेक्टर-7
बहादुरगढ़	सेक्टर-15, 3, 3A, 14



EMD जमा करवाने की अंतिम तिथि
तय e-Auction की तिथि से
एक दिन पहले शाम 5 बजे तक होगी

हेल्पलाइन नंबर

9106196864/6354910157

जनरल आवासीय सम्पत्तियाँ

स्टेशन	सेक्टर
सिरसा	HBC, सेक्टर-19, Type-B
जींद	सेक्टर-8
पंचकूला	सेक्टर-31
बहादुरगढ़	सेक्टर-9
सोनीपत	सेक्टर-23

शेष 75% राशि का भुगतान आवंटन-पत्र जारी ने की तिथि से 100 दिन के भीतर (व्याज मुक्त) या 3 वर्ष की छमाही किस्तों द्वारा भुगतान (व्याज सहित) करने का प्रावधान है।

ई-नीलामी पोर्टल
<https://hbh.gov.in> ई-नीलामी सुबह 10 बजे शुरू की जाएगी।



मुख्य प्रशासक
हाउसिंग बोर्ड हरियाणा
सी-15, आवास भवन, सेक्टर 8, पंचकूला, हरियाणा
hbh.gov.in



स्थलों की पूरी जानकारी और ई-नीलामी के नियम और शर्तें हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आने वाली ई-नीलामी की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। <https://hbh.gov.in>